**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]**

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF FINANCE**
**DEPARTMENT OF REVENUE**
**CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

**Notification**

**New Delhi, 13th March, 2018**

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby amends the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.1660 (E) dated the 22nd June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Subsection (ii) dated the 22nd June, 2015, namely:-

1. In the said notification for the existing 'Note' at the bottom, the following shall be substituted:-

"Note 1: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (7th Amendment) Rules, 2015, vide notification number S.O. No. 1014 (E), dated 15th April, 2015.

Note 2: By giving retrospective effect to this notification, no one will be adversely affected."

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 22nd day of June, 2015.

[Notification No. 14/2018/F.No. 370142/32/2017-TPL]

(Dr T. S. Mapwal)
Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1660 (E) dated the 22nd June, 2015.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख 12th मार्च, 2018

सा.का.नि.......(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(ii)**, तारीख 22 जून, 2015 में प्रकाशित की अधिसूचना का. आ. सं. 1660 (अ), तारीख 22 जून, 2015 का संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. उक्त् अधिसूचना में विद्यमान निचले भाग पर 'टिप्पण' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, :-

'टिप्पण 1 : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(ii)**, में अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1014(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा किया गया।

टिप्पण 2 : इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने पर कोई भी प्रतिकूल प्रभावित नहीं होगा'।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(अधिसूचना सं. 14/2018/फा.सं. 370142/32/2017-टीपीएल)

(डा. टी. एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), में अधिसूचना सं. का.आ. 1660 (अ) तारीख 22 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।